




पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९



पाँचखपन नगरपालिका संखुवासभा

नगससभाबाट पारित मिति: २०७९/०३/१०

पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

प्रस्तावना: पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम पाँचखपन नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस विधेयकको नाम “पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नगरसभाबाट पारित भएपछि २०७९ साल श्रावण १ गतेदेखि पाँचखपन नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
२. **सम्पत्ति कर:** नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
३. **भूमि कर (मालपोत)** नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
४. **घर बहाल कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
५. **व्यवसाय कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
७. **सवारी साधन कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
८. **विज्ञापन कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

९. मनोरन्जन कर:नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
१०. बहाल बिटौरी शुल्क:नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूचि (९) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
११. पार्किङ शुल्क:नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१२. ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफलायर र च्यापटीङ्ग शुल्क: नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफलायर र र्यापटीङ्गसेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवापत अनुसूचि (११) बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१३. सेवा शुल्क, दस्तुर: नगरपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचि १२ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१४. पर्यटनशुल्क: नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूबाट अनुसूची १३ मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
१५. कर छुट: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।
१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि नगरपालिकाले तोके अनुसार हुने छ ।

अनुसूची १
(दफा २ सँग सम्बन्धित)
सम्पत्ति कर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ बमोजिम स्वयम् घोषणाको आधारमा सम्पत्ति कर अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ ।

(क) **जग्गा तर्फ** : पाँचखपन नगर क्षेत्रभित्रका जग्गाहरुको मूल्याङ्कन सम्पत्ति कर असूल प्रयोजनको लागि जग्गाधनीको स्वघोषणा अनुसार हुनेछ । तर स्वघोषणा गर्दा यस अनुसूचीमा उल्लेख भएको मूल्याङ्कन भन्दा घटी हुने गरी स्वघोषणा गर्न पाइने छैन ।

(ख) **घर तथा भौतिक संरचना तर्फ** : सम्पत्ति कर निर्धारण प्रयोजनका लागि घर तथा भौतिक संरचनाहरुको मूल्याङ्कन दररेट स्वघोषणा अनुसार हुनेछ । यसरी स्वघोषणा गर्दा देहायको दररेटमा कम नहुने गरी मात्र घोषणा गर्न सकिनेछ ।

| नयाँ | कर्कटपाता | ढलान | फुस |
|--------------------|-----------|------|-----|
| प्रति वर्ग फिट रु. | ८८ | ५०० | ७० |

(ग) **सम्पत्ति कर तथा मालपोत (भुमीकर) जग्गाको प्रतिरोपनी न्यूनतम मूल्याङ्कन दररेटहरु**

| क्र.स. | जग्गा भएको स्थान न.पा. | जग्गाको किसिम/प्रकार | हाल परिमार्जित हुनुपर्ने रकम रु. | कैफियत |
|--------|---|--|-------------------------------------|--------|
| १ | वडा नं. १ (साविक स्यावुन गा.वि.स. वडा नं. ४,५,६,७) | चैनपुर बाह्रविसे सडक खण्ड अन्तर्गत हाडिखर्क बजार क्षेत्र | ३,००,००० | |
| | | औलबारी बजार क्षेत्र | ३,००,००० | |
| | | ओक्तेन बजार क्षेत्र | ३,००,००० | |
| | | मुडे बजार क्षेत्र | ३,००,००० | |
| | | अन्य चैनपुर बाह्रविसे सडक खण्ड | ५०,००० | |
| | | अलैची खेतीयोग्य जमिन | ५६,००० | |
| | | धनहर खेतीयोग्य जमिन | ४२,००० | |
| | | अन्य कच्ची मोटर बाटो | ५०,००० | |
| | | पाखा | २०,००० | |
| २ | वडा नं. २ (साविक स्यावुन गा.वि.स. वडा नं. ८,९) | आइतबारे देखि टाइगर चौक हुँदै सार्की डाँडा सम्मको सडक खण्डमा | १००००० | |
| | | सार्की डाँडा देखि चरी भन्ज्याङ सम्मको सडक खण्डमा | १००००० | |
| | | चरी भन्ज्याङ देखि काँसेडाँडा हुँदै भदौर सम्मको मेन बाटो क्षेत्र भित्र | ७५००० | |
| | | रिष्टे कटरे चालिसे हुँदै साठी कसुवा खोला बाटो खेतीयोग्य जमिन | ५०००० | |
| | | याङ्गुवा खोला धारापानी टाइगरचौक हुँदै वानिडखेत बाट अलैचे हुँदै कुसुवा खोला सम्मको बाटो क्षेत्रमा | ५०००० | |

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|--------|
| | | वडा भित्रका अन्य सबै शाखा बाटोहरु भएको क्षेत्र | ५०००० | |
| ३ | वडा नं. ३ (साविक स्याबुन गा.वि.स. वडा नं. १,२,३) | वडरेनी पुल देखि देवकोटा प्रा.वि. सम्मको क्षेत्रमा | ३००००० | |
| | | सिभुवा आइतबारे आ.वि. देखि सिभुवा नेवारगाउँसम्मको सडक खण्ड क्षेत्रमा | ३५०००० | |
| | | साउने वर डाँडा क्षेत्र | ७५००० | |
| | | सिभुवा डुम्रे क्षेत्र | ७५००० | |
| | | सिभुवा देखि याङ्गुवा सम्मको सडक खण्डमा | ५०००० | |
| | | सिभुवा नेवार गाउँ बजार क्षेत्र | १५०००० | |
| | | नेवार गाउँ देखि फच्याङ सम्मको सडक खण्डमा | ७५००० | |
| | | फच्याङ लुम्बुवादेखि हाँडीखर्क सम्म | २५०००० | |
| | | वडा नं. ४ (साविक वाना गा.वि.स. वडा नं. ७,८,९) | बाघखोर देखि हेल्थपोष्ट सम्म | ३००००० |
| गुठ देखि टिमुरे भन्ज्याङ सम्म | २००००० | | | |
| भालेभिर देखि बाघखोर सम्म | १००००० | | | |
| लिडलिङ देखि तुम्लिङटार सम्मको सडक खण्डमा | १००००० | | | |
| अन्य कच्ची बाटो क्षेत्र | ४०००० | | | |
| अलैची खेतीयोग्य जमिन | ६०००० | | | |
| धनहर खेतीयोग्य जमिन | ४२००० | | | |
| पाखो वारी | २०००० | | | |
| ५ | वडा नं. ५ (साविक वाना गा.वि.स. वडा नं. ४,५,६) | हेवाखोलाबाट मिलनचौक हुँदै लिडलिङ मोटरबाटोमा पर्ने मिलन चौक क्षेत्र | ३००००० | |
| | | हेवाखोलाबाट मिलनचौक हुँदै लिडलिङ मोटरबाटोमा पर्ने अर्चले चौक क्षेत्र | २००००० | |
| | | हेवाखोलाबाट मिलनचौक हुँदै लिडलिङ मोटरबाटोमा पर्ने कच्ची बाटो क्षेत्र | ४०००० | |
| | | धनहर खेतीयोग्य जमिन | ४२००० | |
| | | अलैची खेतीयोग्य जमिन | ६०००० | |
| | | पाखो क्षेत्र | २०००० | |
| ६ | वडा नं. ६ (साविक वाना गा.वि.स. वडा नं. १,२,३) | चैनपुर बाह्रविसे विहिबारे बाट बाजोगरा सम्म | ६००००० | |
| | | बाँजोगरादेखि स्वागे खोलासम्म | २००००० | |
| | | वाना विहिबारे भालुखोला देखि वाना मा.वि. सडक खण्ड | ६००००० | |
| | | भिरकुना वाना बजार आहाल सम्म | ६००००० | |
| | | वाना बजार थरीगाउँ आहालसम्म | ४००००० | |
| | | वाना टाइगरचौक वान मावि देखि पाँचघरे गाउँ सडक खण्ड | ४००००० | |
| | | पाँचघरे गाउँ डुम्रे खोलासम्म | १५०००० | |
| | | वाना खँदवारी आहाल हेपो दलेमले चौतारा सम्म | २५०००० | |
| | | दलेमले चौतारादेखि गदालगाउँ सम्म | १५०००० | |

| | | | | |
|---|---|---|--------|--|
| | | गदालगाउँदेखि भालेभिरसम्म | १००००० | |
| | | कच्ची मोटरबाटो | १००००० | |
| | | खेतीयोग्य जमिन | ४२००० | |
| | | अलैचीबारी | ६०००० | |
| | | पाखेबारी | २०००० | |
| | | गोरेटो बाटो | ५०००० | |
| ७ | वडा नं. ७ (साविक जलजला गा.वि.स. वडा नं. ७,८,९) | त्रिहिवारे बजार भैसीचौक जलजला मावि वडा कार्यालय भालुखोला क्षेत्र | ६००००० | |
| | | जलजला मावि देखि हवलदारटार सम्म | ३००००० | |
| | | हवलदारटार देखि चिखुवाखोला सम्म | १००००० | |
| | | भैसीचौक नागीडाँडा कच्ची सडकबाट २५ मी. तलमाथि | ८०००० | |
| | | वडा कार्यालय देखि भलुखोलासम्म | ८०००० | |
| | | खेतीयोग्य जमिन | ४२००० | |
| | | भैसीचौकबाट पिपलडाँडा सडक खण्ड | १००००० | |
| | | पाखो | २०००० | |
| ८ | वडा नं. ८ (साविक जलजला गा.वि.स. वडा नं. ४,५,६) | चैनपुर बाह्रविसे सडक खण्ड अन्तर्गत हेवाखोला सुनखानी कल्लेरी सडक खण्ड १०० मि. तलमाथि | ८०००० | |
| | | खेतीयोग्य जमिन धनहर | ६०००० | |
| | | खेतीयोग्य जमिन अलैची | ५०००० | |
| | | पाखेबारी | २०००० | |
| | | कच्ची चिखुवा राईगाउँ चुडखुरुड पोखाड सडक खण्ड १०० मि तलमाथि | ८०००० | |
| | | कच्ची सडक दोभाने पोखाड नागी सडक खण्ड खेतीयोग्य जमिन | ६०००० | |
| ९ | वडा नं. ९ (साविक जलजला गा.वि.स. वडा नं. १,२,३) | मालबाँसे देखि वडा कार्यालय सम्म कच्ची सडक आसपास | १००००० | |
| | | अलैचीबारी | ५०००० | |
| | | खेतीयोग्य धनहर जमिन | ४०००० | |
| | | पाखेबारी | २०००० | |
| | | तालदेखि भालुखोप श्रीनागी चौरीखर्क कच्ची सडक | ४०००० | |
| | | तालदेखि भालुखोप श्रीनागी चौरीखर्क अलैची बारी | ५०००० | |
| | | तालदेखि भालुखोप श्रीनागी चौरीखर्क धनहर जमिन | ३०००० | |
| | | तालदेखि भालुखोप श्रीनागी चौरीखर्क पाखेबारी क्षेत्र | २०००० | |
| | | तेसेदेखि तालसम्म | ५०००० | |

(घ) सम्पत्तिकर निर्धारण प्रयोजनको लागि भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन दररेट

| सं.न | भौतिक संरचनाको वर्गिकरण | प्रति बर्ग | संरचनाको आयु (वर्ष) | भौतिक संरचनाको आयु र हासकट्टी दर (प्रतिशतमा) | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|---------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | ०-५ | ५-१० | १५-२० | २०-२५ | २५-३० | ३०-३५ | ३५-४० | ४०-४५ | ४५-५० | ५०-५५ | ५५-६० | ६०-६५ | ६५-७० |
| १ | पक्का आरसिसि फ्रेम स्टक्चर | १२५० | ६५ | १० | १९ | २७ | ३४ | ४१ | ४७ | ५२ | ५७ | ६१ | ६५ | ६९ | ७२ | ७५ |
| २ | ढुंगा वा ईटाको गारो टायल वा फिगटीको छाना | ९०० | ५० | ११ | २१ | ३० | ३७ | ४४ | ५० | ५६ | ६१ | ६५ | ६९ | | | |
| ३ | पक्कि पर्खाल जस्ताको छाना | ९०० | ५० | ११ | २१ | ३० | ३७ | ४४ | ५० | ५६ | ६१ | ६५ | ६९ | | | |
| ४ | ढुंगामाटो तथा काँचो ईटाले बनेका घर जस्ताको छाना | ८०० | ५० | १२ | २३ | ३२ | ४० | ४७ | ५४ | ५९ | ६४ | ६८ | ७२ | | | |
| ५ | ढुंगामाटो तथा काँचो ईटाले बनेका घर खरको छाना | ६०० | ५० | १३ | २४ | ३४ | ४३ | ५० | ५७ | ६२ | ६७ | | | | | |
| ६ | काठको घर जस्ताको छाना | ५०० | ४० | १४ | २६ | ३६ | ४५ | ५३ | ६० | ६५ | ७० | | | | | |
| ७ | काठको घर खरको छाना | ४५० | ३५ | १५ | २८ | ३९ | ४८ | ५६ | ६२ | ६८ | | | | | | |
| ८ | काठको खावा बासको बेरा र चित्र वा खर वा जस्ताको छाना | २०० | २० | ३६ | ४९ | ५९ | | | | | | | | | | |

सम्पत्ति कर तथा मालपोत (भुमीकर) को दररेट

| क्र.स | देखि | सम्म | लाग्ने दर व्यवस्था | कर निर्धारण |
|-------|---------|---------|--------------------|-------------|
| १ | १ | ५०००० | २५-२०० | ५० |
| २ | ५०००१ | १००००० | २५-२०० | ७५ |
| ३ | १००००१ | २५०००० | २५-२०० | १०० |
| ४ | २५०००१ | ४००००० | २५-२०० | १२५ |
| ५ | ४००००१ | ६००००० | २५-२०० | १५० |
| ६ | ६००००१ | ८००००० | २५-२०० | १७५ |
| ७ | ८००००१ | १०००००० | २५-२०० | २०० |
| ८ | १०००००१ | १२००००० | २५-४०० | २५० |
| ९ | १२००००१ | १५००००० | २५०-४०० | २७५ |

| | | | | |
|----|----------|----------------|-------------|----------------|
| १० | १५००००१ | १७५०००० | २५०-४०० | ३०० |
| ११ | १७५०००१ | १९००००० | २५०-४०० | ३५० |
| १२ | १९००००१ | २०००००० | २५०-४०० | ४०० |
| १३ | २०००००१ | २२५०००० | ५००-१००० | ५०० |
| १४ | २२५०००१ | २५००००० | ५००-१००० | ६५० |
| १५ | २५००००१ | २७५०००० | ५००-१००० | ७७५ |
| १६ | २७५०००१ | २९००००० | ५००-१००० | ८७५ |
| १७ | २९००००१ | ३०००००० | ५००-१००० | १००० |
| १८ | ३०००००१ | ३२५०००० | १२००-३००० | १२०० |
| १९ | ३२५०००१ | ३५००००० | १२००-३००० | १५०० |
| २० | ३५००००१ | ३७५०००० | १२००-३००० | १७५० |
| २१ | ३७५०००१ | ४०००००० | १२००-३००० | २००० |
| २२ | ४०००००१ | ४२५०००० | १२००-३००० | २२५० |
| २३ | ४२५०००१ | ४७५०००० | १२००-३००० | २५०० |
| २४ | ४७५०००१ | ५०००००० | १२००-३००० | ३००० |
| २५ | ५०००००१ | ६०००००० | ३५००-१०००० | ३५०० |
| २६ | ६०००००१ | ७०००००० | ३५००-१०००० | ४५०० |
| २७ | ७०००००१ | ८०००००० | ३५००-१०००० | ६००० |
| २८ | ८०००००१ | ९०००००० | ३५००-१०००० | ८००० |
| २९ | ९०००००१ | १००००००० | ३५-१०००० | १०००० |
| ३० | १००००००१ | १२०००००० | १२०००-२०००० | १२००० |
| ३१ | १२०००००१ | १४०००००० | १२०००-२०००० | १४००० |
| ३२ | १४०००००१ | १६०००००० | १२०००-२०००० | १६००० |
| ३३ | १६०००००१ | १८०००००० | १२०००-२०००० | १८००० |
| ३४ | १८०००००१ | २००००००० | १२०००-२०००० | २०००० |
| ३५ | २००००००१ | २५०००००० | २५०००-६०००० | २५००० |
| ३६ | २५०००००१ | ३००००००० | २५०००-६०००० | ३०००० |
| ३७ | ३००००००१ | ३५०००००० | २५०००-६०००० | ३५००० |
| ३८ | ३५०००००१ | ४००००००० | २५०००-६०००० | ४०००० |
| ३९ | ४००००००० | ४५०००००० | २५०००-६०००० | ५०००० |
| ४० | ४५०००००१ | ५००००००० | २५०००-६०००० | ६०००० |
| ४१ | ५००००००१ | रु २ प्रतिहजार | | रु २ प्रतिहजार |

अनुसूची २
(दफा ३ सँग सम्बन्धित)
भूमि कर

पाँचखपन नगरपालिकाले आ.व.२०७९/८० का लागि तपशिल दररेटहरू अनुसारको भूमिकर (मालपोत) कर असुल गरिने छ ।

| परिमाण | पहिलेको | परिमार्जित | आ.व. ०७९-८० मा कायम |
|---|--|--|--|
| १० रोपनी सम्म | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| ११ रोपनी देखि २० रोपनी सम्म | १००.०० | १००.०० | १००.०० |
| २० रोपनी भन्दा माथि प्रति रोपनी थप लिने । | अब्बल-१५ दोयम-१० सिम- ७ चाहार-३ | अब्बल-१५ दोयम-१० सिम- ७ चाहार-३ | अब्बल-१५ दोयम-१० सिम- ७ चाहार-३ |

जरिवाना तर्फ

१ देखि ३ बर्ष सम्म नबुझाएमा २० प्रतिशत

३ बर्ष देखि ५ बर्षसम्म नबुझाएमा ३० प्रतिशत सो भन्दा माथि नबुझाएमा ४० प्रतिशत लाग्ने छ ।

अनुसूची ३
(दफा ४ सँग सम्बन्धित)
घरबहाल कर

पाँचखपन नगरपालिकाले आ.ब. २०७९/८० मा घर बहाल कर तपशिल बमोजिमको दररेट अनुसार असूली गरिनेछ ।

घरबहाल कर

नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, सटर, जग्गा आदि बहालमा दिएकोमा सम्बन्धित घर धनीबाट १० प्रतिशत बहालकर लिइनेछ । घर बहालमा लगाएका घर धनीहरूको सूची प्रकाशन गरी घरधनीले सम्पत्ती कर बुझाउँदाको बखत नै बहाल कर समेत असूल उपर गरिनेछ ।

अनुसूची ४
(दफा ५ सँग सम्बन्धित)
व्यवसाय कर

पाँचखपन नगरपालिकाले आ.व. २०७९/८० मा व्यवसाय कर तपशिल बमोजिमका दररेट अनुसार असुली गरिने छ ।

पुँजीको आधारमा

१) व्यापारिक बस्तुहरु

क) चुरोट तथा रक्सी जन्य पदार्थ, हार्डवेयर र ज्वेलर्स सँग सम्बन्धित बस्तुहरुको व्यापार व्यावसाय

(मदिरा र कोल्ड ड्रिंक सहितको किराना पसल समेत)

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | १ लाख सम्म | ७००१- | ७००१- | ७००१- |
| २ | १ लाख देखि ५ लाख सम्म | १०००१- | १०००१- | १०००१- |
| ३ | ५ लाख देखि १५ लाख सम्म | २०००१- | २०००१- | २०००१- |
| ४ | १५ लाख देखि १ करोडसम्म | ५०००१- | ५०००१- | ५०००१- |
| ५ | १ करोड देखि ५ करोडसम्म | १००००१- | १००००१- | १००००१- |
| ६ | ५ करोड देखि माथि | २००००१ | २००००१ | २००००१ |

ख) क्यामेरा, टेलीभिजन, चस्मा लगायतका विधुतिय सामाग्री (सिडि प्लेयर, कम्प्युटर सामाग्री समेतका व्यवसायहरु)

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | ५ लाख सम्म | ७००१- | ७००१- | ७००१- |
| २ | ५ लाख देखि २० लाख सम्म | २०००१- | २०००१- | २०००१- |
| ३ | २० लाख देखि १ करोडसम्म | ३०००१- | ३०००१- | ३०००१- |
| ४ | १ करोड देखि ५ करोडसम्म | ५०००१- | ५०००१- | ५०००१- |
| ५ | ५ करोड देखि माथि | ८०००१- | ८०००१- | ८०००१- |

ग) ट्याक्टर विक्री, कार जीप, अटोमोबाईल, मोटरपार्टस, मोटरसाईकल, मिल, मेशिनरी आदि ।

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | १ लाख सम्म | १०००१- | १०००१- | १०००१- |
| २ | १ लाख देखि ५ लाख सम्म | २०००१- | २०००१- | २०००१- |
| ३ | ५ लाख देखि १० लाख सम्म | ३०००१- | ३०००१- | ३०००१- |
| ४ | १० लाख देखि २० लाख सम्म | ३५००१- | ३५००१- | ३५००१- |
| ५ | २० लाख देखि करोड सम्म | ४५००१- | ४५००१- | ४५००१- |
| ६ | १ करोड भन्दा माथि | १००००१- | १००००१- | १००००१- |

घ) किताब, कापी तथा स्टेशनरीसंग सम्बन्धित व्यवसाय

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | ५० हजार सम्म | ३००१- | ५००१- | ५००१- |
| २ | ५० हजार देखि १ लाख सम्म | ५००१- | ७००१- | ७००१- |
| ३ | १ लाख देखि ५ लाख सम्म | १०००१- | १०००१- | १०००१- |
| ५ | ५ लाख देखि २० लाख सम्म | २५००१- | २५००१- | २५००१- |
| ६ | २० खाल देखि २५ लाख सम्म | ४०००१- | ४०००१- | ४०००१- |
| ७ | २५ लाख देखि माथि | ५०००१- | ५०००१- | ५०००१- |

ड) कृषिसंग सम्बन्धित व्यवसायको हकमा (कृषि फर्म, गाई, बाखा, सुगुर पालन व्यवसाय आदी कृषि सामग्री औजार, मल, विऊ दाना, चोकर, पशुपक्षि आहारा)

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | १ लाख सम्म | २००१- | २००१- | २००१- |
| २ | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | ५००१- | ५००१- | ५००१- |
| ३ | ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १०००१- | १०००१- | १०००१- |
| ४ | ५ लाख देखि २० लाख सम्म | २०००१- | २०००१- | २०००१- |
| ५ | २० लाख देखि माथि | ५०००१- | ५०००१- | ३०००१- |

च) शिसा, फेमिड, कार्पेट, सजावटका सामान र जनरल गुड्सहरु आदि ।

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | १ लाख सम्म | ५००१- | ५००१- | ५००१- |
| २ | १ लाख देखि ५ लाख सम्म | १०००१- | १०००१- | १०००१- |
| ३ | ५ लाख देखि १० लाख सम्म | १५००१- | १५००१- | १५००१- |
| ४ | १० लाख देखि २० लाख सम्म | २५००१- | २५००१- | २५००१- |
| ५ | २० लाख देखि माथि | ५०००१- | ५०००१- | ५०००१- |

छ) सुति कपडा, रेडिमेड कपडा आदि व्यवसाय

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|-------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| १ | ३ लाख सम्म | ५००१- | १०००१- | १०००१- |
| २ | ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १०००१- | १५००१- | १५००१- |
| ३ | ५ लाख देखि १५ लाख सम्म | १५००१- | २०००१- | २०००१- |
| ४ | १५ लाख देखि ३० लाख सम्म | २०००१- | २५००१- | २५००१- |
| ५ | ३० लाख देखि १ करोड सम्म | ५०००१- | ५०००१- | ५०००१- |
| ६ | १ करोड देखि ५ करोड सम्म | १००००१ | १००००१ | १००००१ |
| ७ | ५ करोड देखि माथि | १५०००१- | १५०००१- | १५०००१- |

ज) रुद्राक्ष व्यवसाय (इजाजत पत्र)

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|------------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | नगर स्तरीय | ३०००१- | १०००१- | ३०००१- |

ज.) वन पैदावर तथा कृषिजन्य वस्तुको वार्षिक आमदानी स्वघोषणा प्रमाणित दस्तुर

वार्षिक आय २० लाख सम्म स्वघोषणा प्रमाणित दस्तुर ०.१ प्रतिशत

वार्षिक आय २० लाख वा सो भन्दा माथि स्वघोषणा प्रमाणित दस्तुर ०.५ प्रतिशत

२) विशेष परामर्श तथा ब्यवसायिक सेवा

क) चिकित्सक, अहेव, कवीराज, होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक, पशु डाक्टर, भेटरीनरी, सर्जिकल लागायत स्वस्थ संग सम्बन्धित व्यवसायहरु ।

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | एम.डी. | २०००१- | ३०००.०० | ३०००.०० |
| २ | एम.वि.वि.एस, पशु डाक्टर | १०००१- | १५००.०० | १५००.०० |
| ३ | पशु सहायक | ५००१- | ७००.०० | ७००.०० |
| ४ | कवीराज, होमियोपेथि, आयुर्वेदिक डाक्टर | १०००१- | १५००.०० | १५००.०० |
| ५ | सर्जिकल सामान खुद्रालाई | १०००१- | १५००.०० | १५००.०० |
| ६ | औषधिपसल थोकलाई | ३०००१- | ४०००.०० | ४०००.०० |
| ७ | सर्जिकल सामान थोक | ३०००१- | ४०००.०० | ४०००.०० |
| ८ | भिडियो एक्स रे | २०००१- | २५००.०० | २५००.०० |
| ९ | कवीराज, होमियोपेथि, आयुर्वेदिक अहेव | १०००१ | १५००.०० | १५००.०० |
| १० | शारिरिक ब्यायमका सामाग्री विक्री | १५००१- | १५००.०० | १५००.०० |

ख) परामर्श सेवा, अनुसन्धान तथा परामर्शदाता, अनुवादक, छापाखाना, प्रेश, स्क्रिन प्रिन्टर्स ।

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|--|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | ३ लाख सम्म | ५००१- | १०००१- | १०००१- |
| २ | ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १०००१- | १५००१- | १५००१- |
| ३ | ५ लाख देखि १५ लाख सम्म | १५००१- | २०००१- | २०००१- |
| ४ | १५ लाख देखि २० लाख सम्म | २०००१- | २५००१- | २५००१- |
| ५ | २० लाख देखि १ करोड सम्म | ३०००१- | ३५००१- | ३५००१- |
| ६ | १ करोड देखि ५ करोड सम्म | ५०००१ | ५५००१- | ५५००१- |
| ७ | ५ करोड देखि माथि | १००००१- | १०५००१- | १०५००१- |
| ८ | अन्य (टेलि चलचित्र, वृत्तचित्र निर्माण) | ५०००१ | ५५००१- | ५५००१- |

ग) केवल नेटवर्क व्यवसाय

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| १ | ५०० सम्म ग्राहक भएका | २०००१- | ३०००१- | ३०००१- |
| २ | ५०० देखि १००० सम्म ग्राहक भएका | ५०००१- | ५०००१- | ५०००१- |
| ३ | १०० भन्दा माथि ग्राहक भएका | प्रति ग्राहक रु १००१- | प्रति ग्राहक रु १००१ | प्रति ग्राहक रु १००१ |

घ) कानून व्यवसायी

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | बरिष्ठ अधिवक्ता | २०००१- | २०००१- | २०००१- |
| २ | अधिवक्ता | १०००१- | १०००१- | १०००१- |
| ३ | अभिवक्ता | ७००१- | ७००१- | ७००१- |
| ४ | लेखापढि | ५००१ | ५००१ | ५००१ |

ङ) लेखापरीक्षक

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|----------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | श्रेणी क | २०००१- | २५००१- | २५००१- |
| २ | श्रेणी ख | १०००१- | १५००१- | १५००१- |
| ३ | श्रेणी ग | ५००१- | १०००१- | १०००१- |
| ४ | श्रेणी घ | ३००१- | ८००१- | ८००१- |

च) अन्य सेवाहरु वा फर्म:

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|---------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | विमा एजेन्ट विदेशी | २०००१- | २०००१- | २०००१- |
| २ | विमा एजेन्ट स्वदेशी | १५००१- | १५००१- | १५००१- |
| ३ | विज्ञापन एजेन्सी | १०००१- | १०००१- | १०००१- |

| | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| ४ | शेयर दलाल | २०००१- | २०००१- | २०००१- |
| ५ | अभिकर्ता | २००१- | २००१- | २००१- |
| ६ | कानुनी फर्म | १०००१ | १०००१ | १०००१ |

छ) निर्माण ब्यावसाय

| १ | निर्माण व्यवसाय | दर्ता शुल्क | नविकरण शुल्क |
|---|---|-------------|--------------|
| क | “घ” बर्गको इजाजतपत्र दस्तुर | ५०००१ | |
| ख | “घ” बर्गको वार्षिक नविकरण दस्तुर | | २५००१ |
| ग | “घ” बर्गको वार्षिक नविकरण थप (विलम्ब) शुल्क | | २०००१ |
| घ | “घ” बर्गको इजाजत प्रतिलिपी दस्तुर | | २०००१ |
| ङ | कार्यालय ठाउँसारी दस्तुर | | १०००१ |
| च | नगरपालिका भन्दा बाहिर प्रधान कार्यालय भएका निर्माण व्यवसायीहरूले शाखा कार्यालय स्थापना गरेमा शुल्क वापत | ५०००१ | २०००१ |
| छ | व्यवसायिक संचार गृह एफ.एम | २०००१ | १०००१ |

३ कूटानी पिसानी व्यवसायहरूको हकमा

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८०को स्विकृत दररेट |
|--------|--|--------------|------------|------------------------------|
| १ | कूटानी तथा पिसानी मात्र | २००१ | ५००१- | ५००१- |
| २ | कूटानी तथा पिसानी पेलानी | ५००१- | १०००१- | १०००१- |
| ३ | कूटानी तथा पिसानी, पेलानी चिउरा समेत | १०००१- | १५००१- | १५००१- |
| ४ | कूटानी तथा पिसानी, पेलानी चिउरा, मसला समेत | १५००१- | २०००१- | २०००१- |
| ५ | कूटानी तथा पिसानी, पेलानी तथा विक्री समेत | २०००१- | २५००१- | २५००१- |

४. उत्पादनमुलक उद्योग

क) अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गईरहेको माल वा अन्य सामानको प्रयोग र प्रशोधन गरि मालसामान उत्पादन गर्ने व्यवसाय जस्तो, खेर गईरहेको प्लाष्टिकबाट सामान निर्माण गर्ने र फोहोरबाट मल निर्माण गर्ने व्यवसायको हकमा व्यवसायको लगानी हेरी रु ५०० देखि रु ५००० सम्म लिन सकिनेछ ।

५. पर्यटन सेवा व्यवसाय

आवास लज, होटल, फास्टफुड रेस्टुरा, रिसोर्ट ट्राभल्स एजेन्सी, स्वमीड पुल, कन्फेन्सहल आदि ।

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| १ | सानो ग्रामिण स्तरको चिया पसल वा ५० हजार सम्म लगानी भएको होटल | ५००१ | ७००१- | ७००१- |
| ३ | ५० हजार देखि २ लाख सम्म | ७००१ | १०००१- | १०००१- |
| ४ | २ लाख देखि ५ लाख सम्म | १०००१- | १५००१- | १५००१- |
| ५ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | २०००१- | ३०००१- | ३०००१- |
| ६ | २० लाख भन्दा माथि | ३०००१- | ५०००१- | ५०००१- |
| ७ | रिसोर्टहरुको हकमा | थप रु ३०००१- | थप रु ३०००१- | थप रु ३०००१- |

६. संचार सेवा एफ. एम. समेत

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|-----------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | १ लाख सम्म | ५००१ | १०००१- | १०००१- |
| २ | १ लाख देखि ५ लाख सम्म | १०००१ | १५००१- | १५००१- |
| ३ | ५ लाख भन्दा माथि | २०००१ | २५००१- | २५००१- |
| ४ | एफ.एम. रेडियो प्रसारण | २०००१ | २५००१- | २५००१- |

मोवाईल टावर ठूलो रु २०,०००१ (बार्षिक) सानोको हकमा १५,०००१

७. वित्तीय सेवा

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|--|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | निजी क्षेत्रबाट संचालीत बाणिज्य बैंक, विदेशी विमा कम्पनी | १०,०००१ | १०,०००१ | १०,०००१ |

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| २ | बिकास बैंकहरु | ७०००१- | ७०००१- | ७०००१- |
| ३ | वित्तिय कम्पनीको मुख्य कार्यालय | ५०००१ | ५०००१ | ५०००१ |
| ४ | विमा कम्पनी र मनि ट्रान्सफर | ३०००१- | ३०००१- | ३०००१- |
| ५ | १ करोड सम्म कारोवार (वासलात) भएका सहकारी | १०००१- | १०००१- | ३०००१- |
| ६ | १ करोड भन्दा माथि ३ करोड सम्म | २०००१- | २०००१- | ५०००१- |
| ७ | ३ करोड देखि ५ करोड सम्म | ३०००१- | ३०००१- | ८०००१- |
| ८ | ५ करोड देखि भएका सहकारीहरु | ५०००१ | ५०००१ | १००००१ |

नोट: बचत तथा ऋणको कारोवार नगरी पूर्णतया कृषिमा आधारित सहकारीका हकमा बार्षिक शुल्क लिईने छैन । माथि उल्लेखित सहकारीहरुको सम्बन्धमा कुनै सिफारिस गर्नुपर्ने भएमा प्रति सिफारिस रु १००० लाग्ने छ ।

द.स्वास्थ्य सेवा

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|-------------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| १ | ५ लाख सम्मको लागि | १०००१ | २०००१- | २०००१- |
| २ | ५ लाख देखि २० लाख सम्म | १५००१- | २५००१- | २५००१- |
| ३ | २० लाख देखि १ करोड सम्म | २०००१ | ३०००१- | ३०००१- |
| ४ | १ करोड देखि ५ करोड सम्म | ५०००१- | ७०००१- | ७०००१- |
| ५ | ५ करोड देखि माथि | १००००१- | १३०००१- | १३०००१- |

९.तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरु

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|--|--------------|------------|----------------------------------|
| १ | तालिम तथा अनुसन्धान, कम्प्युटर टाईपिङ लगायत फोटोकपि समेत संचालन भई काम गर्नेहरुको हकमा, कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण, निजी क्षेत्रबाट दिईने शिक्षा सेवा तथा कोचिङ सेन्टर आदि । (निशुल्क तथा सशुल्क तालिम तथा कोचिङ चलाउने संघ संस्था वा फर्म र NGO, INGO ले न.पा.को स्वीकृती लिएर मात्र त्यस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ । स्वीकृती नलिए प्रकृती हेरी जरिवाना गर्न सक्नेछ । | १०००१- | २०००१- | २०००१- |

१०. मर्मत सेवा

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|--|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | टेक्टर, बस, ट्रक, हेवी ईक्युपमेन्ट, कार, जीप, सवारी डेन्टिड मोटर पार्टस, मिलमेशिनरी, एयरकुलर, टायर रिसोलिड आदि | १०००। | २०००।- | २०००।- |
| २ | रेडियो, घडि, टिभि, ईलेक्ट्रोनिक मर्मत, फ्रिज, हुडसिट, मोटरसाईकल मर्मत | १०००।- | २०००।- | २०००।- |
| ३ | ग्यांसचुल्हो सेल्स, डाईनोमाईट, गाडीको पम्प, टायरट्युब पंचर, ग्यांस वल्लिड, वक्सा मर्मत गर्ने, साईकल, लुगा सिउने मेशीन अन्य फोटोकपि व्याग | १०००। | २०००।- | २०००।- |

११. अन्य सेवा

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|---|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | वैदेशिक रोजगारिमा पठाउने संस्था, हाउजिड कम्पनी | ५०००। | ७०००।- | ७०००।- |
| २ | उद्योग, संघसंस्था आदिमा स्वदेशको लागि जनशक्ति सप्लाई गर्ने | २०००।- | ३०००।- | ३०००।- |
| ३ | कलर ल्याव | १०००।- | १५००।- | १५००।- |
| ४ | घरजग्गा खरिद विक्री, रियल स्टेट | ५०००।- | ७०००।- | ७०००।- |
| ५ | विज्ञापन सेवा फोटो स्टुडियो | १०००।- | १५००।- | १५००।- |
| ६ | ब्युटी पार्लर, केश श्रृंगार, साइनबोर्ड, पेन्टिड, सैलुन नर्सरी | १०००।- | १५००।- | १५००।- |
| ७ | मासु (खसी, कुखुरा, रागा, बंगुर आदि) खुद्रा विक्रेता | १०००।- | १०००।- | १०००।- |

| | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ८ | मासु (खसी, कुखुरा, रागा, बंगुर आदि) थोक विक्रेता | १५००१- | १५००१- | १५००१- |
| ९ | पंचेबाजा | निशुल्क | ५००१- | निशुल्क |
| १० | ब्रास व्रैण्डबाजा | १०००१- | १०००१- | १०००१- |
| ११ | सित भण्डार | २०००१- | २०००१- | २०००१- |
| १२ | टेण्ट हाउस | १०००१- | १०००१- | १०००१- |
| १३ | हाफ क्याटरिड | २०००१- | २०००१- | २०००१- |
| १४ | साइवर क्याफे | २०००१- | २०००१- | २०००१- |
| १५ | एग्रोभेट | १०००१- | १०००१- | १०००१- |
| १६ | कवाडी पसल थोक | ७०००१- | ७०००१- | ५०००१- |
| १७ | कवाडी पसल खुद्रा | ५०००१- | ५०००१- | ३०००१- |
| १८ | ढुवानी सेवा शाखा भएका कुरियर केरियर | ३०००१- | ३०००१- | ३०००१- |
| १९ | ढुवानी सेवा शाखा नभएको कुरियर केरियर | २०००१- | २०००१- | २०००१- |
| २० | खाना मात्र विक्री होटल | १०००१- | १५००१- | १५००१- |
| २२ | एक मेशिन राखी कपडा सिलाई गर्ने रु ५००१ | थप १ मेशन बराबर रु १०० | थप १ मेशन बराबर रु १०० | थप १ मेशन बराबर रु १०० |
| २३ | पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने पम्प | न्युनतम रु ५००० प्रति मेशन थप रु ३००० | न्युनतम रु ५००० प्रति मेशन थप रु ३००० | न्युनतम रु ५००० प्रति मेशन थप रु ३००० |
| २४ | ग्यास विक्री डिलर | २०००१- | २०००१- | २०००१- |
| २५ | कांटा | १०००१- | १०००१- | १०००१- |
| २६ | भाडा वर्तन, जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, मनिहारी, हेल्थ केयर, कृतिम गहना खुद्रा विक्रेता | १०००१- | २०००१- | १५००१- |
| २७ | भाडा वर्तन, जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, मनिहारी, हेल्थ केयर, कृतिम गहना थोक विक्रेता | २०००१- | ३०००१- | ३०००१- |

| | | | | |
|----|---|---------|---------|----------------------|
| २८ | डिपार्टमेन्टल स्टोर रेष्टुरां बेकरी सहितको | ५०००१- | ७०००१- | ५०००१- |
| २९ | डिपार्टमेन्टल स्टोर | १००००१- | १००००१- | ५०००१- |
| ३० | ढुवानी सेवा (१ लाख-५ लाख) ५ लाख १-१० लाख) १० लाख भन्दा माथी | | | १००० १५०० २५०० |

पर्यटन शुल्क: ब्यवसायिक प्रयोजनका लागि नगरपालिका सरहद भित्र प्रवेश गर्ने प्रति ब्यक्ति शुल्क रु २०००० ।-

११. क) उद्योग

चक उद्योग, दाना उद्योग, फिनेल उद्योग, निर उद्योग, औषधी उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योगको डिपो, सौर्य उर्जा उत्पाद, मिश्री उत्पाद, चकलेट उद्योग, पापड चिप्स उद्योग, पाउरोटी उद्योग, बरफ उत्पादन, भुल तथा पर्दा उद्योग, धान, गहुं चिउरा मसाला तेल कुटानी पिसानी पेलानी उद्योग, घरेल कपडा बनाउने उद्योग, डेरी उत्पादन, चिनी उद्योग, डोरी डब्बा, वाल्टीन आदी बनाउने उद्योग, निर्माण उद्योग, खनिज उद्योग, सेलर तथा उर्जा मुलक उद्योग चिया उद्योग ।

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | ५ लाख सम्मको लागि | २०००१ | २०००१ | १०००१ |
| २ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | २५००१- | २५००१- | १५००१- |
| ३ | २० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ३५००१ | ३५००१ | २०००१ |
| ४ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ५०००१- | ५०००१- | ३०००१- |
| ५ | ५ करोड देखि माथि | १००००१- | १००००१- | ३५००१- |

ख) ग्रिल उद्योग

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | १ लाख देखि २ लाख सम्मको लागि | ५००१ | १०००१- | १०००१- |
| २ | २ लाख १ देखि ३ लाख सम्मको | १०००१- | १५००१- | १५००१- |
| ३ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्मको | २०००१ | २५००१- | २५००१- |
| ४ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | ३०००१- | ३५००१- | ३५००१- |
| ५ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | ५,०००१- | ५५००१- | ५५००१- |
| ६ | २० लाख १ देखि माथि | १००००१- | १०,५००१- | १०,५००१- |

उल्लेखित व्यवसायको हकमा अन्य निकायलाई गरिने सिफारिस बापतको दस्तुर थप लाग्नेछ ।

ग) उल्लेख नभएका अन्य उद्योगहरू

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|--|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | ट्युबलाईट उद्योग, ब्याट्टि उद्योग, प्लाष्टीकका सामानहरू उत्पादन गर्ने उद्योग, बिडि बनाउने फ्याक्ट्री, साबुन उत्पादन गर्ने उद्योग, लोक्ता आदि | २०००१ | २०००१ | २०००१ |
| २ | वियर/वाईन फ्याक्ट्री, मंदिर उत्पादन उद्योग, ल्युव उद्योग | २००००१- | २००००१- | २००००१- |

१२. अन्य वर्गीकरण नखुलेका व्यावसाय

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|--|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | आलु, प्याज, हरियो तरकारी, फलफुल थोक विक्री | ५००१ | ७००१ | ७००१ |
| २ | खुद्रा तरकारी, फलफुल, पानपसल | ३००१- | ५००१- | ५००१- |

१३. व्यवसाय, फर्म तथा संघ संस्था दर्ता तथा नविकरण शुल्क :

| | | | |
|---|---|-------|--|
| १ | कृषि/कृषक समुह तथा अन्य समिती दर्ता | ५००१ | प्रत्येक २ वर्षमा नविकरण हुने । |
| २ | निजी वन तथा साभेदारी वन तथा अन्य वन दर्ता | १०००१ | प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेमा सोही बमोजिम हुने । अन्यथा यसै बमोजिम हुनेछ । |
| ३ | संघ/संस्था दर्ता | १०००१ | नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेमा सोही बमोजिम हुने अन्यथा यसै बमोजिम हुनेछ । |

कुनैपनी फर्म वा व्यवसायको नविकरण शुल्क उक्त फर्म वा व्यवसाय दर्ता शुल्कको आधा रकम वा दर्ता शुल्कको ५०% रकम अशुल गरी नविकरण गरिनेछ ।

१४. व्यवसाय तथा फर्म बन्द शुल्क :

कुनैपनी फर्म वा व्यवसायको बन्द गर्दा उक्त फर्म वा व्यवसाय दर्ता शुल्कको आधा रकम वा दर्ता शुल्कको ५०% रकम सो आ.व को व्यावसाय करमा थप गरी अशुल गरी बन्द गरिनेछ ।

१५. जडीवुटी तथा कृषि सहकारी तथा अन्य सहकारी दर्ता सम्बन्धी शुल्क : रु. १०००

नोट :-

- १) माथि उल्लेखित शिर्षकमा नपरेको व्यवसाय र उद्योग दर्ता हुन आएमा व्यावसाय र उद्योगको किसिम हेरी माथिको कर दरमा नघटने गरि वार्षिक कर लिई व्यवसाय प्रमाणपत्र दिईनेछ ।
- २) नगरपालिकामा दर्ता भई संचालनमा आएका फर्म, पसल, उद्योग आदि लाई बन्द गर्नुपर्दा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण गरि विगत वर्षको लाग्ने दस्तुर र जरिवाना समेत असुल गरि व्यावसाय बन्द सिफारिस दिईनेछ । र सोको विवरण छुट्टै फायलमा खडा गरि अध्यावधिक गरि राखिने छ ।
- ३) व्यवसायिक फर्म नामसारी गर्दा तिन पुस्तोभिन्न रु २५० र सो भन्दा बाहिर नामसारी गर्दा रु ५०० राजश्व लिई नामसारीगरिनेछ ।
- ४) नगरपालिकालाई आवश्यक परेमा (व्यावसायको किसिम निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा) निजको व्यावसायको कारोबारको आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा अन्त शुल्क कार्यालयबाट कारोबार प्रमाणित विवरण माग गर्न सकिने छ, साथै नगरपालिकाले तोकेको कर्मचारीबाट निरीक्षण गरि निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कर तय गरिनेछ ।
- ५) यस कार्यालयलाई बुझाउनु तिर्नु पर्ने कर, शुल्क र भाडा आदि जस्ता राजश्व बुझाउन बाँकी रहेमा न.पा बाट प्रदान गरिने सिफारिस लगायतका कुनै पनि सेवा प्रवाहबाट बंचित गर्न सकिनेछ ।
- ६) अन्य बाँकी करहरुका हकमा ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको परिधिभिन्न रहि नेपाले तोके बमोजिम हुनेछ, जुन सामान्यतया कारोबारको स्तर हेरि जरिवाना तोकिएको छ ।

अनुसूची ५
(दफा ६ सँग सम्बन्धित)
जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर

पाँचखपन नगरपालिकाले आ.ब. २०७९/८० मा जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु संकलन कर तपसिल वमोजिमका दररेट अनुसार असूली गरिनेछ ।

जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर

| क | जडीबुटी,कवाडी र जीवजन्तु अवशेष समग्री संकलन कर | इकाई | दर |
|----|--|-----------------|-------|
| १ | ऊन | प्रति के.जि. | ५। |
| २ | खोटो | प्रति के.जि. | ७। |
| ३ | जडीबुटी | प्रति के.जि. | २०। |
| ४ | वनकस खर | प्रति भारी | ५। |
| ५ | चिराइतो | प्रति के.जि. | ८। |
| ६ | रिठ्ठा | प्रति के.जि. | ४। |
| ७ | पांग्रा | प्रति के.जि. | ४। |
| ८ | सिन्कौली दालचिनी | प्रति के.जि. | ३। |
| ९ | चावो | प्रति के.जि. | २। |
| १० | जटामसी | प्रति के.जि. | ३। |
| ११ | मजिटो | प्रति के.जि. | ३। |
| १२ | लब्सी विया | प्रति के.जि. | १। |
| १३ | चिउरीको विया | प्रति के.जि. | १।५० |
| १४ | बेल | प्रति के.जि. | ३। |
| १५ | ओखर | प्रति के.जि. | २। |
| १६ | लहा | प्रति के.जि. | १।५० |
| १७ | कुरिलोको जरा | प्रति के.जि. | १। |
| १८ | बोभो | प्रति के.जि. | २। |
| १९ | तितेपाती | प्रति के.जि. | ३। |
| २० | अमला | प्रति के.जि. | १। |
| २१ | च्याउ | प्रति के.जि. | २। |
| २२ | पद्मचाल | प्रति के.जि. | ७। |
| २३ | टिमु | प्रति के.जि. | ५। |
| २४ | बाँस | प्रति ट्रयाक्टर | २००। |
| २५ | खर, बावियो, पराल, | प्रति ट्रयाक्टर | १००। |
| २६ | खर, बावियो, पराल, | प्रति ट्रक | ३००। |
| २७ | निगालो, लोक्ता, अम्लिसो कुचो | प्रति ट्रक | १०००। |

| क | जडीबुटी,कवाडी र जीवन्तु अवशेष समाग्री संकलन कर | इकाई | दर |
|----|---|--------------|-----|
| २८ | उल्लेख नभएको अन्य जडिवुटि | प्रति के.जि. | १५। |
| २९ | रुद्राक्ष | प्रति के.जि. | ३। |
| ३० | तेज पत्ता | प्रति के.जि. | १। |
| ख | प्रचलित कानुनले निषेधित गरे बाहेकका पंक्षीहरुको प्वाँखमा लगाईने कर | | |
| १. | प्रचलित कानुनले निषेधित गरे बाहेकका पंक्षीहरुको प्वाँखमा लगाईने कर | प्रति के.जि. | २५। |
| २. | प्रचलित कानुनले निषेधित गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पशुको हाड, सिङ्ग, खुर, छाला | | |
| क | हाड | प्रति के.जि. | १। |
| ख | सिङ | प्रति के.जि. | १। |
| ग | खुर | प्रति के.जि. | १। |
| घ | छाला ठुलो | प्रति गोटा | २५। |
| ङ | छाला सानो | प्रति गोटा. | १५। |
| ३. | पुनः (Re Cycling) प्रशोधन गरी पुनः प्रयोग हुन सक्ने देहाय बमोजिमको कवाडी मालसामानमा उठाईने कर | | |
| क | भिञ्जु प्राकृतिक र कृत्रिम उनका टुक्रा | प्रति के.जी. | १। |
| ख | गार्मेन्टका कपडाका टुक्रा | प्रति के.जी. | १। |
| ग | जलेको मोविल | प्रति के.जी. | १। |
| घ | जुट र प्लाष्टिकको बोरा | प्रति के.जी. | १। |
| ङ | कार्पेटका टुक्रा | प्रति के.जी. | १। |
| च | टायर, ट्यूब पुरानो | प्रति के.जी. | १। |
| छ | थोत्रो टिन | प्रति के.जी. | १५० |
| ज | पुरानो ड्रम | प्रति के.जी. | १। |
| झ | पुरानो कागज पत्रपत्रिका | प्रति के.जी. | १५० |
| ञ | अन्य कागज कार्टुन समेत | प्रति के.जी. | १५० |
| ट | धातुका टुक्राहरु र पत्रु भइ काम नलाग्ने भएका धातुका सामानहरु | प्रति के.जी. | १। |
| ठ | प्लाम | प्रति के.जी. | १। |
| ड | अन्य धातु पित्तल तामा आदी | प्रति के.जी. | १। |
| ढ | थोत्रिएर काम नलाग्ने मेशिनरी औजारका पार्टपुर्जाहरु | प्रति के.जी. | १। |
| ण | पोलिथिन पाईपका टुक्राहरु | प्रति के.जी. | १। |
| त | शिसा लिडहरुको धुलो वा टुक्राहरु | प्रति के.जी. | १। |
| थ | काँचको धुलो टुक्रा | प्रति के.जी. | १। |
| द | ग्यास सिलिण्डर | प्रति के.जी. | १। |
| ध | ग्याँसचुलो वा पार्टपुर्जा | प्रति के.जी. | १। |
| न | काम नलाग्ने काठका टुक्रा टुक्रा | प्रति के.जी. | १। |

| क | जडीबुटी,कवाडी र जीवन्तु अवशेष समाग्री संकलन कर | इकाई | दर |
|----|---|-----------------|------|
| ४. | स्वदेशमा स्थपना भएको उद्योगहरुले जे जस्तो अवस्थामा छ सोही रुपमा पुनः प्रयोग (Re-Use) गर्ने देहाय वमोजिमको वस्तुमा उत्पादन स्थल/संकलन केन्द्र/ निकाशी स्थलमा उठाइने गरेको दर | | |
| क | खाली सिसी वियरको बोतल | प्रति गोटा | -१२५ |
| ख | खाली सिसी मदिरा र अन्य ५०० एम.एल भन्दा माथी | प्रति गोटा | -१२५ |
| ग | खाली सिसी मदिरा र अन्य ५०० एम.एल भन्दा मुनी तल | प्रति गोटा | -१२५ |
| घ | प्लाष्टिक बोतल, भाँडाकुँडा, पुराना जुत्ता चप्पल, ग्यालेन र जर्किन आदी | प्रति के.जी. | -१२५ |
| ५ | खाली बोरा | | |
| क | १०० के.जी. सम्मको खाद्यान्न अट्ने जुटको | प्रति गोटा | १२५ |
| ख | ५० के.जी. सम्मको खाद्यान्न अट्ने जुटको | प्रति गोटा | १२५ |
| ग | ५० के.जी. सम्मको खाद्यान्न अट्ने प्लाष्टिकको | प्रति गोटा | १२५ |
| ६ | १० लिटर भन्दा बढी अट्ने ठुलो तेलको टिन | प्रति गोटा | १२५ |
| क | १० लिटर भन्दा कम अट्ने सानो तेलको टिन | प्रति गोटा | १२५ |
| ७ | यसमा उल्लेख नभएका वस्तुहरुको हकमा | प्रति गोटा | २१ |
| ८ | दहत्तर, वहत्तर | प्रति ट्रयाक्टर | ५००१ |

अनुसूची-६
(दफा ७ सँग सम्बन्धित)
सवारी साधन कर

| क्र.स. | सवारी साधन | दरता शुल्क | नवीकरण शुल्क |
|--------|--------------------|------------|--------------|
| १ | अटो रिक्सा, टेम्पो | ३००० | २००० |
| २ | इ-रिक्सा | १००० | ८०० |

अनुसूची-७
(दफा ८ सँग सम्बन्धित)
विज्ञापन कर

पाँचखपन नगरपालिकाले आ.ब. २०७९/८० मा विज्ञापन कर तपसिल वमोजिमका दररेट अनुसार असूली गर्ने छ।

| क्र.स. | विवरण | आ.ब. २०७९/८० |
|--------|--|--------------|
| क | सार्वजनिक स्थान, सिनेमाहल तथा बजार क्षेत्रमा विज्ञापन तथा होर्डिङ्ग बोर्ड प्रति वर्गफिट रु | ५० |
| ख | सार्वजनिक स्थान तथा बजार क्षेत्रमा फ्लास बोर्ड प्रति वर्गफिट रु | २५ |
| ग | मदिराजन्य विज्ञापनको साइनबोर्ड, होर्डिङ्ग बोर्ड प्रति वर्गफुट | ५० |
| घ | डिजिटल विज्ञापन बोर्ड प्रति वर्गफुट | १०० |
| ङ | भित्ते लेखन तथा व्यानर प्रति वर्गफिट | ५ |

यस अनुसूचीमा जेसुकै लेखिएको भएतापनि सार्वजनिक हितको लागि राखिएका सूचना र सन्देशमूलक जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, वातावरण, सामाजिक सुरक्षा लगायत) साइनबोर्ड र होर्डिङ्ग बोर्डको कर लिईने छैन।

अनुसूची-द
(दफा ९ सँग सम्बन्धित)
मनोरञ्जन कर

| मनोरञ्जन | | | |
|----------|---|---------|--|
| क्र.स. | विवरण | करको दर | कैफियत |
| १ | नगर क्षेत्रभित्र संचालन गरिने सर्कस, मेला, प्रदर्शनी जस्ता आम्दानी लिने खालका कार्यक्रमहरूलाई प्रति दिन | १००० | प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेमा सोही वमोजिम हुने । अन्यथा यसै वमोजिम हुनेछ । |
| २ | हाइभिजन हल संचालन | १५०० | प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेमा सोही वमोजिम हुने । अन्यथा यसै वमोजिम हुनेछ |
| ३ | भिडियो प्रदर्शनी | १५०० | प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेमा सोही वमोजिम हुने । अन्यथा यसै वमोजिम हुनेछ |

अनुसूची-९
(दफा १० सँग सम्बन्धित)
बहाल विटौरी शुल्क

| सि.नं. | विषय शीर्षक | विवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट |
|--------|--|---|--------------|------------|-------------------------------|
| १ | माछा, मासु बिक्री सम्बन्धी | खसी, बोका काटी मासु बिक्री गर्ने पसलमा प्रति गोटा | २५ | ५० | ५० |
| | | सुगुर बंगुर काटी मासु बिक्री गर्ने पसलमा प्रति गोटा | २५ | ५० | ५० |
| | | रांगा काटी मासु बिक्री गर्ने पसलमा प्रति गोटा | २५ | ५० | ५० |
| | | कखुरा काटी मासु बिक्री गर्ने पसलमा | २५ | ५० | ५० |
| | | माछा बिक्री गर्ने पसलमा | २५ | ५० | ५० |
| २ | कपडा तथा जुत्ता चप्पलआदि सँग सम्बन्धित पसल | रेडिमेड सामान राखी बिक्री गर्ने पसलमा | २५ | ५० | ५० |
| | | थान कपडा बिक्री गर्ने पसलमा | १५ | ५० | ५० |
| | | जुत्ता चप्पल बिक्री पसलमा सानो | १५ | ५० | ५० |
| | | जुत्ता चप्पल बिक्री पसलमा खुद्रा | १५ | ५० | ५० |
| | | जुत्ता चप्पल सिलाई गर्ने मोचि | १० | २० | २० |
| ३ | तरकारी तथा फलफुल सम्बन्धी | फलफुल, नास्ता ठेलामा राखी बिक्री गर्ने पसलमा | १० | २० | २० |
| | | साग सब्जी डोका वा डालामा राखी बिक्री गर्ने | १० | २० | १० |
| | | भारमा सब्जी आदि ल्याई बिक्री गर्ने | १० | २० | १० |
| | | सिजन अनुसारको सागसब्जी आले | १० | २० | १० |
| | | सिजन अनुसारको सागसब्जी आलु पसल सानो | १० | २० | १० |
| | | फलफुल सागसब्जी पसल अन्यमा | १० | २० | २० |
| | | फलफुल सागसब्जी प्रति ठेला | १० | २० | २० |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|----|----|----|
| | | फलफुल सागसब्जी बोरा । खुद्रा पसल | १० | २० | २० |
| ४ | खाद्यान्य संग सम्बन्धित | ढाकीमा ल्याई बेच्ने दाल, चामल, पिठो, च्यूरा आदिमा | १० | २० | २० |
| | | विस्कुट, चकलेट, पाउरोटी, साबुन बिक्री गर्ने पसलमा | १० | २० | २० |
| | | मिठाई पसलमा | १० | २० | २० |
| | | चटपटी तथा बरफ | १० | २० | २० |
| | | चिया पसल | १० | २० | २० |
| | | माछा, मासु, तरकारी पकाई बिक्री गर्ने पसलमा | १० | २० | २० |
| | | अदुवा, लसुन, खुर्सानी, कुचो नांग्लो बेच्नेसंग | १० | २० | २० |
| | | चामल दाल बिक्री गर्ने पसल | २० | ३० | ३० |
| | | वीउ विजन बिक्री गर्ने पसलमा | १० | २० | २० |
| | | चकटी आदि बेच्नेसंग | १० | २० | २० |
| | | मकै पोली बेच्नेसंग | १० | १० | १० |
| | | जडीबुटी बिक्री गर्नेसंग | १० | ५० | ५० |
| | | किराना पसलमा | १० | ५० | ५० |
| | | अन्य छुटपुट पसलमा रु १० देखि रु ५० सम्म पसल हेरी | | | |
| कुखुरा, हांस बिक्री गर्ने पसल प्रतिगोटा | १० | १० | १० | | |
| ६ | परम्परागत सीपसंग सम्बन्धित | जुत्ता चप्पल सिलाई गर्ने मोचि संग | १० | २० | २० |
| | | कपाल काटने सैलुनमा | १० | ५० | ५० |
| | | माटोको भांडा बेच्ने पसल ठूलोमा | १० | २० | २० |
| | | माटोको भांडा बेच्ने पसल सानोमा | १० | २० | २० |
| | | कुचो, कुनिया, खोगी डोको नाङ्लो बेच्ने | १० | २० | २० |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|----|----|----|
| ७ | अन्य व्यवसाय संग सम्बन्धित | खटियामा सामान राखी बिक्री गर्ने पसलमा प्रति गोटा | १० | २० | २० |
| | | फलमका औजार तथा समान बिक्री गर्ने पसलमा | १० | २० | २० |
| | | भाडाकुडा पसलमा | १० | ५० | ६० |
| | | फोटो फ्रेमिड तथा बिक्री पसल | १० | ५० | ६० |
| | | लाइट, पेट्रोमेक्स, स्टोभ, छाता मर्मत पसलमा | १० | २० | २० |
| | | प्रचार प्रसार गरी ब्यावसाय गर्ने विज्ञापन सम्बन्धी पसलमा | २० | २० | २० |
| | | चुरी, धागा, टीका आदि श्रृंगार तथा मनिहारी पसल ठूलोमा | १० | २० | ३० |
| | | चुरी, धागा, टीका आदि श्रृंगार तथा मनिहारी पसल सानोमा | १० | २० | ३० |
| | | मुरली, बासुरी, गुलेली, थैली, जुम्रुँ, उडुस आदी मार्ने ओषधी बिक्री गर्ने | १० | २० | २० |
| | | उल्लेखित कर तथा दस्तुरका दररेटमा कुनै परिवर्तन गर्नुपरेमा नगरपालिकाले गर्न सक्नेछ । | | २० | २० |

नोट:- माथि नपरेको व्यावसायको हकमा नगरपालिकाले निर्णय गरि रु १ देखि १०० सम्म कर लिन सक्नेछ ।

अनुसूची १०
(दफा ११ सँग सम्बन्धित)
सवारी पाकिङ्ग शुल्क

| सि.नं. | पाकिङ्ग शुल्क | दररेट |
|--------|-----------------------------|-------|
| १ | बस ट्रक ट्रयाक्टर प्रति पटक | ३० |
| २ | जिप, कार, भ्यान प्रति पटक | २० |
| ३ | टेम्पो | १० |
| ४ | मोटर साईकल प्रति पटक | ५ |

अनुसूची ११

(दफा १२ सँग सम्बन्धित)

ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बञ्जी जम्प, जिपफ्लायर, च्याफिटङ्ग,
प्याराग्लाइडिङ्ग शुल्क:

कार्यान्वयनमा नल्याइएको

अनुसूची १२
(दफा १३ सँग सम्बन्धित)
सेवा दस्तुर, शुल्क

| सि.नं. | विषय | विवरण | आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दररेट | आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दररेट | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट | कैफियत |
|--------|------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| १ | | ➤ मोही नामसारी तथा मोही बाँडफाँड सिफारीस | १०००.०० | १०००.०० | १०००.०० | |
| | | ➤ जग्गा नामसारी सिफारीस | ७००.०० | ५००.०० | ५००.०० | |
| | | ➤ मोही लगत कट्टा सिफारीस | १५००.०० | १५००.०० | १५००.०० | |
| | | ➤ अपुताली सिफारीस दस्तुर | २०००.०० | २०००.०० | २०००.०० | |
| | | ➤ चार किल्ला सिफारीस (१० रोपनी सम्मको) | ५००.०० | ५००.०० | ५००.०० | सो भन्दा माथि प्रतिरोपनी थप रु ५०। लाग्ने |
| | | ➤ निवेदन दस्तुर | २०.०० | २०.०० | २०.०० | |
| | | ➤ बसोवास प्रमाणीत | ५००.०० | २००.०० | ५००.०० | |
| | | ➤ हकभोग तथा जोतभोग तथा छुट दर्ता सिफारीस | ५००.०० | ३००.०० | ५००.०० | |
| | | ➤ उद्योग सम्बन्धि घरमा आगलागि | २०००.०० | २०००.०० | निशुल्क | वीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निशुल्क |
| | | ➤ साना घरेलु उद्योगमा आगलागि सिफारीस | १५००.०० | १५००.०० | निशुल्क | वीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निशुल्क |
| | | ➤ मझौला उद्योगमा आगलागि सिफारीस | ३०००.०० | ३०००.०० | निशुल्क | वीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निशुल्क |
| | | ➤ ठूला उद्योगमा आगलागि सिफारीस | ५०००.०० | ५०००.०० | निशुल्क | वीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निशुल्क |
| | | ➤ दैवि प्रकोप सिफारिस | निशुल्क | निशुल्क | निशुल्क | |
| | | ➤ नक्सा पास किताव दस्तुर | ७००.०० | ७००.०० | ७००.०० | |
| | | ➤ संघसंस्थाको बैक खाता खोल्दा | २००.०० | २००.०० | २००.०० | |
| | | ➤ घर बाटो सिफारिस | १००००.०० | १००००.०० | १००००.०० | |

| सि.नं. | विषय | विवरण | आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दररेट | आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दररेट | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट | कैफियत |
|--------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| | | ➤ सबै किसिमका फारम दस्तुर | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० | |
| | | ➤ नाम, उमेर थर लगायत संसोधन | २००.०० | १००.०० | २००.०० | |
| | | ➤ व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रतिलिपि दस्तुर | ५००.०० | ५००.०० | ५००.०० | |
| | | ➤ पक्की घर कायम सिफारीस | १५००.०० | १५००.०० | १५००.०० | एक हजार बर्गफिट भन्दा माथिको हकमा प्रति बर्ग फुट रु २। प्ररम्भ देखी |
| | | ➤ टिनको छाना भएको कच्ची घर कायम सिफारीस | ५००.०० | ५००.०० | ५००.०० | |
| | | ➤ कच्ची घर सिफारीस | २००.०० | २००.०० | २००.०० | |
| | | ➤ तिनपुस्ते खुल्ने सिफारीस, | ५००.०० | २००.०० | २००.०० | |
| २ | नागरीकता सम्बन्धित सिफारीस | ➤ नागरीक प्रमाणपत्र सिफारीस | २००.०० | १००.०० | ०० | निःशुल्क |
| | | ➤ नागरीकता सर्जिमिन | ५००.०० | ५००.०० | ५००.०० | |
| | | ➤ नागरीकताको प्रतिलिपि | ३००.०० | ३००.०० | ३००.०० | दोस्रो पटक भन्दा बढी ५०० |
| | | ➤ बैवाहीक अंगीकृत नागरिकता सिफारीस | १०००.०० | ५००.०० | ५००.०० | |
| | | ➤ नाबालक परिचय पत्र सिफारिस | २००.०० | २००.०० | निःशुल्क | |

पञ्जिकरणका दर्ता ३५ दिन भित्र निशुल्क हुने छ ।

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| ३ | पञ्जिकरण सँग सम्बन्धित प्रमाणीत सिफारीस | ➤ विवाह दर्ता र प्रमाणीत | १००.०० | २००.०० | ५००.०० | विदेशका लागि रु १०००.०० |
| | | ➤ विवाह दर्ता प्रतिलिपि | १००.०० | ३००.०० | ५००.०० | विदेशका लागि रु १०००.०० |
| | | ➤ जन्म दर्ता र प्रमाणीत | १००.०० | १००.०० | ५००.०० | विदेशका लागि रु १०००.०० |
| | | ➤ जन्म दर्ता प्रतिलिपि | १००.०० | २००.०० | ५००.०० | विदेशका लागि रु १०००.०० |
| | | ➤ मृत्यु दर्ता र प्रमाणीत | १००.०० | १००.०० | ५००.०० | विदेशका लागि रु १०००.०० |
| | | ➤ बसाईसराई दर्ता र प्रमाणीत | २००.०० | ५००.०० | ५००.०० | विदेशका लागि रु १०००.०० |
| | | ➤ अविवाहीत दर्ता र प्रमाणीत | २००.०० | ३००.०० | ५००.०० | विदेशका लागि रु १०००.०० |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---|------------------|---|
| | | ➤ संवन्धविच्छेद | १०००.०० | २०००.०० | २०००.०० | |
| | | ➤ पञ्जीकरण सम्बन्धी दर्ता प्रमाणपत्रमा नाम थर बतन संशोधन | | | ३००.०० | |
| ४ | व्यक्तिसँग सम्बन्धित सिफारीस | ➤ चारीत्रिक एवम् सूचीकृत वर्ग सिफारीस | १००.०० | २००.०० | २००.०० | उल्लेखित सिफारीसमा सर्जिमिन गर्न परेमा सो को दस्तुर पुन छुटै लाग्ने छ । |
| | | ➤ चारीत्रिक एवम् सूचीकृत वर्ग सिफारीस स्थायी बसोवास नभएको हकमा | ५००.०० | ७००.०० | ७००.०० | |
| | | ➤ नेपाली पेन्सन पट्ट बहाकका लागि गरेको जुनसुकै सिफारीस | ३००.०० | ५००.०० | ५००.०० | |
| | | ➤ भारतीय पेन्सन बहाकका लागि जुनसुकै सिफारीस | ५००.०० | १०००.०० | १०००.०० | |
| | | ➤ अन्य देशका पेन्सन बहाकका लागि जुनसुकै सिफारीस | १०००.०० | २०००.०० | २०००.०० | |
| | | ➤ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएको व्यक्तिको सिफारीस | निशुल्क | निशुल्क | निशुल्क | |
| | | ➤ व्यवसाय बन्द सिफारीस | १००.०० | १००.०० | १००.०० | |
| | | ➤ नाता प्रमाणीत नेपालीमा | ५००.०० | ५००.०० | ५००.०० | |
| | | ➤ नाता प्रमाणीत अंग्रेजीमा | १०००.०० | १०००.०० | १०००.०० | |
| | | ➤ नम्बरी जग्गाको रुख काट्ने सिफारीस नीजि प्रयोजन ३० क्यू फिट सम्म | २००.०० | २००.०० | २००.०० | |
| | | ➤ सहूलियत काठको सिफारीस | ५००.०० | ५००.०० | निशुल्क | |
| | | ➤ काठ निकास (प्रति टुक) | ३०००.०० | प्रति रुख | प्रति रुख १५०.०० | |
| | | ➤ ट्याक्टर (प्रति ट्याक्टर) | ६००.०० | १५०.०० | प्रतिरुख रु.५०० | |
| | | ५ | माग निवेदनका आधारमा जग्गा छुट्याउने काम (अभिनद्वारा) | ➤ एक रोपनी देखि पाँच रोपनी सम्मको जग्गा | ०.०० | |
| ➤ छ रोपनी देखि दश रोपनी सम्मको जग्गा | ०.०० | | | ०.०० | २०००.०० | |
| ➤ एघार रोपनी देखि तीस रोपनी सम्मको जग्गा | ०.०० | | | ०.०० | २५००.०० | |
| ➤ एकतीस रोपनी देखि पचास रोपनी सम्मको जग्गा | | | | | ३०००.० | |
| ➤ पचास रोपनी देखि अंसि रोपनी सम्मको जग्गा | ०.०० | | | ०.०० | ५०००.०० | अंसि रोपनी भन्दा माथि प्रतिरोपनी रु १०० थप लाग्ने |
| ➤ घर बनाउदा किचलो परी जग्गा छुट्याउदा | ०.०० | | | ०.०० | २०००.०० | |
| ➤ घडेरी जग्गा छुट्याउदा बजार क्षेत्रमा | | | | | २०००.०० | |
| ➤ घडेरी जग्गा छुट्याउदा बजार बाहेक अन्य क्षेत्रमा | | | | | १०००.०० | |
| ➤ सरकारी संघ संस्था र विद्यालय निशुल्क | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | निजी जग्गा नाप नक्शा छुट्याउँदा नगरपालिकाको धरोटी खातामा जम्मा गरी तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा गरेको भौचर सहित निवेदन गर्नुपर्ने छ । कुनै निवेदन उपर विदाको दिन कार्य गर्नुपर्दा नगरपालिकाले लिने राजस्वको २५ प्रतिशत रकम अतिरिक्त पारिश्रमिक वापत अभिनलाई भुक्तानी दिइनेछ । |
|--|---|

| | | | | | |
|---|---|--|----------|----------|----------|
| ६ | स्थानीय कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर | अलैची प्रति केजि | ५.०० | ५.०० | छुट |
| | | अम्लिसो प्रति केजि | | | |
| | | मजिटो प्रति केजि | ०.५ | ०.५ | |
| | | चिरेतो, प्रति केजि | | | |
| | | सतुवा प्रति केजि | ०.५ | ०.५ | |
| | | यासांगुम्वा प्रति केजि | ३.०० | ३.०० | |
| | | ऐसेलु, चुश्रो प्रति केजि | ५.०० | ५.०० | |
| | | १०००.०० | १०००.०० | | |
| | | ५.०० | ५.०० | | |
| ७ | दर्ता उद्योग सिफारीस | चप्पल उद्योग | १०००.०० | १०००.०० | १०००.०० |
| | | चाउचाउ उद्योग | १०००.०० | १०००.०० | १०००.०० |
| | | विस्कट उद्योग | १०००.०० | १०००.०० | १०००.०० |
| | | सलाई उद्योग | १०००.०० | १०००.०० | १०००.०० |
| | | प्लाई उड उद्योग | ३०००.०० | ५०००.०० | ५०००.०० |
| | | कपडा उद्योग | ३०००.०० | ५०००.०० | ५०००.०० |
| | | बरफ उद्योग | १०००.०० | २०००.०० | २०००.०० |
| | | कन्फेसनरी उद्योग | १.०००.०० | १.०००.०० | १.०००.०० |
| | | काष्ठ उद्योग | ३०००.०० | ५०००.०० | ५०००.०० |
| | | स मिल सहितको काष्ठ उद्योग फर्निचर समेत | ५०००.०० | ७०००.०० | ७०००.०० |
| | | फर्निचर मात्र | १०००.०० | ३०००.०० | ३०००.०० |
| | | ग्राजेज | १०००.०० | ४०००.०० | ४०००.०० |
| | | पेट्रोल पम्प | १००००.०० | १००००.०० | १००००.०० |
| | | मट्टितेल डिलर | १०००.०० | २०००.०० | २०००.०० |
| | | स्टेशनरी वा कपी उद्योग | ५०००.०० | ५०००.०० | ५०००.०० |
| | | डिस्टीलरी वा ब्रुअरी उद्योग | १००००.०० | १००००.०० | १००००.०० |
| | | हल्का पेय जुस पदार्थ उद्योग | २०००.०० | २०००.०० | २०००.०० |
| | | प्लास्टिक उद्योग | ३०००.०० | ३०००.०० | ३०००.०० |
| | | पाउरोटी, केक, दुन्ट उद्योग | १०००.०० | २०००.०० | २०००.०० |
| | | गलैचा उद्योग | ५०००.०० | ५०००.०० | ५०००.०० |
| | | गार्मेन्ट उद्योग | ३०००.०० | ३०००.०० | ३०००.०० |
| | | भुजीया उद्योग | ५००.०० | ५००.०० | ५००.०० |
| | | ईटा तथा टायल उद्योग आधुनीक भट्टा जडित | ५०००.०० | ५०००.०० | ५०००.०० |
| ईटा तथा टायल आधुनीक यन्त्र जडान नगरीएको | ३०००.०० | ३०००.०० | ३०००.०० | | |
| चिया उद्योग | ५०००.०० | ५०००.०० | ५०००.०० | | |
| ८ | निजी शिक्षण संस्था दर्ता एबम् अन्य कामका लागि | ➤ पूर्व पार्यामिक | २०००.०० | ३०००.०० | ३०००.०० |
| | | ➤ आधारभूत विद्यालय | ५०००.०० | ७०००.०० | ७०००.०० |
| | | ➤ माध्यमिक विद्यालय | १००००.०० | १००००.०० | १००००.०० |
| | | ➤ क्याम्पस | १५०००.०० | १५०००.०० | १५०००.०० |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|----------|----------|----------|--|
| गरीने सिफारीस | ➤ प्राविधिक शिक्षण संस्था | १००००.०० | १००००.०० | १००००.०० | |
| | ➤ स्तर बृद्धिका लागि सिफारीस | २०००.०० | २०००.०० | २०००.०० | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---------------------|--|---------------------|---|
| ९ | भित्रमा नामसारी, बकस, बाईको तथा किराँड प्रयोजनको हकमा) चार किल्ला सिफारिस | ➤ १० रोपनी सम्मको | ५००.०० | ५००.०० | ५००.०० | |
| | | ➤ १० रोपनी देखी २० रोपनी सम्म | १०००.०० | १०००.०० | ७००.०० | |
| | | ➤ २० रोपनी देखी ४०रोपनी सम्म | १५००.०० | १५००.०० | १०००.०० | |
| | | ➤ ४० रोपनी देखी ८० रोपनी सम्म | ३०००.०० | ३०००.०० | १५००.०० | |
| | | ➤ ८० रोपनी भन्दा देखी माथि | ५०००.०० | ५०००.०० | २०००.०० | |
| १० | घर नक्सा पास दस्तुर | ➤ १००० वर्गफूट सम्म नक्सा पास गर्दा प्रतिवर्गफूट (आवासिय) | | | १०.०० | (क) पटक-पटक गरी नक्सा पास गर्नेका हकमा कुल क्षेत्रफलका आधारमा कुनवर्गमा पर्ने हो सो निर्धारण गरी सोही वर्गको कर लिईने छ । |
| | | ➤ १००० वर्गफूट सम्म नक्सा पास गर्दा प्रतिवर्गफूट (व्यापारिक) | | | ११.०० | |
| | | ➤ १००० वर्गफूट भन्दा माथीको प्रतिवर्ग फूट (आवासिय) | | | १२.०० | |
| | | ➤ १००० वर्गफूट माथी नक्सा पास गर्दा प्रतिवर्गफूट (व्यापारिक) | | | १३.०० | (ख) नक्सा संसोधन गर्दा कूल बुझाउनु पर्ने दस्तुरमा थप ३० प्रतिशत दस्तुर लिईने छ । |
| | | ➤ औद्योगिक भवन | | | १४.०० | |
| | | ➤ पर्खाल प्रति रनिङ्ग फिट | ५० | ५० | ५० | |
| | | ➤ कच्ची घर | | | ३.०० प्रति वर्ग फिट | |
| | | ➤ भुईँ तलामा पक्की दिवाल भइ माथि टीनको छाना भएको | | | | (ग) कायम भएको दस्तुरको ५० प्रतिशत धरौटी वापत नगरपालिकामा जम्मा गर्नु पर्ने छ र निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष भित्र सम्बन्धित घरधनीलाई फिर्ता दिईने छ । घर सम्पन्न भएको दुई वर्ष भित्र लिन नआएमा कानून बमोजिम सदर स्याहा गरीने छ । |
| | | ➤ पहिले वनिसकेका पक्की घर प्रतितला | | | ४.०० प्रति वर्ग फिट | |
| | | ➤ नगरपालिका घोषणा हुनुपूर्व निर्माण भएका घरहरुको हकमा | | | १०.०० प्रति वर्गफिट | |
| | | | ८.०० प्रति वर्ग फिट | नगरपालिकाले तोकेको समय भित्र नक्सा पास नगराएमा २०% जरीवाना हुनेछ । | | |
| | | | ४.०० प्रति वर्ग फिट | | | |
| | | | ४.०० प्रति वर्ग फिट | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | घर नक्शा नाम सारी दस्तुर | ➤ १००० देखि २००० वर्गफुट सम्मको घर नक्सा नामसारी | | | ४.०० प्रति वर्ग फिट | (क) घर जग्गा धनीको मृत्यु भई प्रचलित कानून बमोजिम एका सगोलका परीवारमा नामसारी गर्नु पर्दा १००० वर्गफिट सम्मको घरमा रु. १०००। सो भन्दा माथि जतिसुकै भए पनि रु. २५००। लिईने छ। |
| | | ➤ २००० देखि ३००० वर्गफुट सम्मको घर नक्सा नामसारी | | | ४.०० प्रति वर्ग फिट | |
| | | ➤ ३००० देखि ४००० वर्ग फीट सम्मको | | | ४.०० प्रति वर्ग फिट | |
| | | ➤ ४००० देखि ५००० वर्गफिट सम्मको | | | ४.०० प्रति वर्ग फिट | |
| | | ➤ ५००० वर्गफिट भन्दा माथि प्रति ५०० वर्ग फिट बराबर | | | ४.०० प्रति वर्ग फिट | |
| | | १२ | घर निर्माण क्षेत्र रेखांकन, निरीक्षण लगायतका दस्तुर | घर नक्सा निरीक्षण तथा सर्जमिन दस्तुर | ५००.०० | |
| लेआउट दस्तुर | ३००.०० | | | ३००.०० | ३००.०० | |
| सार्वजनिक पूर्वाधार मर्मत दस्तुर | २००.०० | | | २००.०० | २००.०० | |
| १३ | अन्य सिफारिस दस्तुर | ➤ कच्ची घरमा विद्युत जडान सिफारीस | ५०.०० | १००.०० | १००.०० | |
| | | ➤ पक्की घरमा विद्युत जडान सिफारीस | ५००.०० | ५००.०० | ३००.०० | |
| | | ➤ थ्रिफेज लाईन जडान सिफारीस | १०००.०० | १०००.०० | १०००.०० | |
| | | ➤ खानेपानीको धारा जडान | १००.०० | १००.०० | १००.०० | |
| | | ➤ संस्था दर्ता सिफारीस | १०००.०० | १०००.०० | १०००.०० | |
| | | ➤ सिनेमा हल खोल्ने सिफारीस | १००००.०० | १००००.०० | १००००.०० | |
| | | मेला सर्कस अनुमति सिफारीस | न्यूनतम एक दिन सम्मको रु ५००० / थप प्रतिदीन रु ३०००.०० | न्यूनतम एक दिन सम्मको रु ५००० / थप प्रतिदीन रु ३०००.०० | न्यूनतम एक दिन सम्मको रु ५००० / थप प्रतिदीन रु ३०००.०० | |
| | | ➤ टेलीफोन जडान सिफारीस | १००.०० | १००.०० | १००.०० | |
| | | ➤ अटो रिक्सा अनुमति | १०००.०० | २००.०० | १०००.०० | |
| | | ➤ अटो रिक्सा अनुमती नविकरण | | | ५००.०० | |
| | | ➤ अन्यत्र नपरेका सर्जमिन | ५००.०० | ५००.०० | ५००.०० | |
| | | ➤ वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु सिफारिस | निशुल्क | निशुल्क | निशुल्क | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|--|---------|---------|--|---|-------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ पसल कोठा आराजनी भएको | निशुल्क | निशुल्क | निशुल्क | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ सबै प्रकारका अंग्रेजीमा सिफारिस | १०००.०० | १०००.०० | १०००.०० | | |
| १४ | प्रतिलिपि सिफारिस | <ul style="list-style-type: none"> ➤ नक्सा पास सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि | २००.०० | २००.०० | २००.०० | क, प्रतिपाना रु ५.०० लाग्ने | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ घरको नक्साको प्रतिलिपि | २००.०० | २००.०० | २००.०० | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य प्रमाण-पत्र | १००.०० | १००.०० | १००.०० | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रमाणपत्र बाहेक अन्यको प्रतिलिपि प्रति पाना | ५.०० | ५.०० | ५.०० | मालपोत वा घरको नक्साको कर तिरको प्रतिलिपि | १०.०० |
| १५ | उपभोक्ता समिति सिफारिस | <ul style="list-style-type: none"> ➤ १ लाख सम्मको योजना | ०.०० | १००.०० | १००.०० | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ १ लाख देखि ५ लाख सम्मको योजना | ०.०० | २००.०० | २००.०० | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ ५ लाख देखि १० लाख सम्मको योजना | ०.०० | ५००.०० | ५००.०० | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ १० लाख देखि ३० लाख सम्मको योजना | ०.०० | १०००.०० | १०००.०० | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ ३० लाख देखि माथिका योजना | ०.०० | २०००.०० | २०००.०० | | |
| १६ | | खनेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति दर्ता प्रमाणपत्र दस्तुर | ०.०० | ०.०० | स्थानीय स्तरको भए रु.२०००.०० प्रदेश तथा संघको भए रु.१०,०००.०० | बर्षिक नवीकरण दस्तुर १० प्रतिशत र म्याद नाघी आएमा ५० प्रतिशत दस्तुर लाग्नेछ । | |
| १७ | | पक्कीघर कार्य सम्पन्न सिफारिस | | | १००० | | |
| १८ | | कन्सलटेन्सी सेवा (ड्रइङ, डिजाइन र इन्जिनियरिङ सम्बन्धी) | | | ४०००.०० | | |
| १९ | | निवेदन दस्तुर (विरामीको हकमा बाहेक) | | | २०.०० | | |
| २० | | कक्षा ८ को प्रमाणपत्र प्रतिलिपि दस्तुर | | | २००.०० | | |

अनुसूची १३
(दफा १४ सँग सम्बन्धित)
अन्य सेवा शुल्क

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८०को स्विकृत दररेट |
|--------|---|--|--|--|
| १ | अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन सेवा शुल्क | प्रतिलाख रु १०० (विद्यार्थीको लागि) अन्यको हकमा रु (१५०) | प्रतिलाख रु १०० (विद्यार्थीको लागि) अन्यको हकमा रु २००) | प्रतिलाख रु १०० (विद्यार्थीको लागि) अन्यको हकमा रु २००) |
| २ | आयश्रोत मूल्याङ्कन प्रमाणित शुल्क | प्रतिलाख रु १०० (विद्यार्थीको लागि) अन्यको हकमा रु (१५०) | प्रतिलाख रु १०० (विद्यार्थीको लागि) अन्यको हकमा रु २००) | प्रतिलाख रु १०० (विद्यार्थीको लागि) अन्यको हकमा रु २००) |
| ३ | पशु चौपाय निकासी कर | ०० | ०० | प्रतिगोटा रु.५० सिफासि दस्तुर सहित |
| ४ | हलभाडा | ०० | | १००० |
| ५ | व्यक्तिले आफ्नो नम्बरी आवादी भित्र ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन गर्न परेमा सो को लागि नगरपालिकाबाट स्वीकृती दस्तुर | ०० | ०० | रु.२०००।०० |
| ६ | ढुंगा, गिटी बालुवा दस्तुर | ०० | ०० | प्रति ट्याक्टर रु.१००।०० प्रति मिनिट्रक रु.१५०।०० प्रति टिपर रु.२००।०० |
| ७ | कु-काठी दस्तुर | ०० | ०० | प्रति ट्याक्टर रु.१००।०० प्रति एल पी रु.३००।०० |
| ८ | न्यायिक समितिमा निवेदन दस्तुर | २००.०० | | |
| ९ | मिलापत्र | ४००.०० | | |

अनुसूची १४
(दफा १५ सँग सम्बन्धित)
दण्ड जरिवाना

| सि.नं. | बिवरण | साविक कर रकम | परिमार्जित | आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट | कै. |
|--------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|
| १ | नगरपालिका घोषणा हुनुपूर्व बनेका संरचनाको हकमा नक्शापास सम्बन्धी | ५० प्रतिशत | ५० प्रतिशत | ५० प्रतिशत | |
| २ | नक्शापास नगरि चर लेवल सम्म भौतिक संरचना निर्माण गरेमा | ३० प्रतिशत (थप जरिवाना) | ३० प्रतिशत (थप जरिवाना) | ३० प्रतिशत (थप जरिवाना) | |
| ३ | नक्शापास नगरि चर भन्दा माथि सम्म भौतिक संरचना निर्माण गरेमा | ६० प्रतिशत (थप जरिवाना) | ६० प्रतिशत (थप जरिवाना) | ६० प्रतिशत (थप जरिवाना) | |
| ४ | नक्शापास नगरी घर तथा भौतिक निर्माण सम्पन्न गरेमा | १०० प्रतिशत (थप जरिवाना) | १०० प्रतिशत (थप जरिवाना) | १०० प्रतिशत (थप जरिवाना) | |
| ५ | निश्चित तल्ला वा निश्चित डिजाइनको अनुमति लिई सो भन्दा बढि वा फरक घर निर्माण गरेमा | ७० प्रतिशत (थप जरिवाना) | ७० प्रतिशत (थप जरिवाना) | ७० प्रतिशत (थप जरिवाना) | |
| ६ | घर निर्माण गर्दा सडकमा जथाभावी निर्माण सामाग्री थुपार्नेको हकमा | १००० देखि १५००० सम्म | १००० देखि १५००० सम्म | १००० देखि १५००० सम्म | |
| ७ | निषेधित क्षेत्रमा फोहोर फाल्नेको हकमा | १००० देखि १५००० सम्म | १००० देखि १५००० सम्म | १००० देखि १५००० सम्म | |
| ८ | निषेधित क्षेत्रमा प्लाष्टिका फोहोर तथा फाल्नेको हकमा | १००० देखि १५००० सम्म | १००० देखि १५००० सम्म | १००० देखि १५००० सम्म | |
| ९ | जथाभावि चौपाय छोड्नेको हकमा | प्रतिदिन १०० देखि ५०० सम्म | प्रतिदिन १०० देखि ५०० सम्म | प्रतिदिन १०० देखि ५०० सम्म | |
| १० | मालपोत लगायतका करहरु को हकमा | २५ प्रतिशत | २५ प्रतिशत | २५ प्रतिशत | |
| ११ | व्यावसायको हकमा (नवीकरण म्याद गुज्री आएमा) | १० प्रतिशत | ५० प्रतिशत | ५० प्रतिशत | |
| १२ | सार्वजनिक सडकमा लकडि लगायत अन्य सामाग्री राखेमा | २०००.०० | २०००.०० | २०००.०० | |

घर नक्शाको हकमा दण्ड जरिवाना कायम गर्दा निरीक्षणमा भएको कर्मचारीको रोहवरमा नक्शा तयार गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई साक्षी राखि घरधनीको समेत सहभागितामा न.पा. कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीमा तीन पक्षिय हस्ताक्षरको साथै कम्तीमा एकातर्फको संधियारले हस्ताक्षर गर्ने ।